



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 15, 1993/वैशाख 25, 1915

No. 20]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 15, 1993/VAISAKHA 25, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य
क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक
नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general
Character) issued by the Ministries of the Government of India (other
than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities
(other than the Administration of Union Territories)

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1993

सा.का.नि. 230 :—केंद्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया
संहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची के
आदेश 27 के नियम 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, सिविल अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में
केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वादों में वादपत्रों और
लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और उनके सत्यापन से
संबंधित भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के
विधि कार्य विभाग की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 167,
तारीख 14 फरवरी, 1990 में निम्नलिखित और संशोधन
करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में “12. पर्यावरण
और वन मंत्रालय” शीर्षक के नीचे, “भारतीय वन सर्वेक्षण,

995 GI/93-1

देहरादून” उपशीर्षक में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित
रखा जाएगा, अर्थात् :—

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून

- (i) निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण,
- (ii) संयुक्त निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण,
- (iii) संयुक्त निदेशक, केंद्रीय जोन, नागपुर,
- (iv) संयुक्त निदेशक, उत्तरी जोन, शिमला,
- (v) संयुक्त निदेशक, पूर्वी जोन, कलकत्ता,
- (vi) संयुक्त निदेशक, दक्षिणी जोन, बंगलौर,
- (vii) उप-निदेशक, केंद्रीय जोन, नागपुर,
- (viii) उप-निदेशक, उत्तरी जोन, शिमला,
- (ix) उप-निदेशक, दक्षिणी जोन, बंगलौर।

[फा.सं. 16(4)/91-न्यायिक]

टी.आर. सेतुरमण, अपर विधि सलाहकार

(755)

सत्यापित

25-5-93
31-10-19
सहायक नियंत्रक (याणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1993

सा.का.नि. 243.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सहायक डिपो प्रबंधक) भर्ती नियम, 1990 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सहायक डिपो प्रबंधक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1993 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सहायक डिपो प्रबंधक) भर्ती नियम, 1990 की अनुसूची में,
 - (1) स्तम्भ 2 के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—
“2*(1993)—1 मुंबई में और
1 हैदराबाद में
परिवर्तन किया जा सकता है”
 - (2) * * *
 - (3) स्तम्भ 12 में, “प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण” शीर्षक के नीचे, मद (ii) की प्रविष्टियों के पश्चात्, “या” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

[सं.ए-12018/1/90-सी जी एच एस II/सी जी एच एस (पी)]

ब्रह्म देव, अवर सचिव

पाद टिप्पण: मूल नियम, सा.का.नि. 215 तारीख 30-3-91 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 21st April, 1993

G.S.R. 243.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Government Health Scheme (Assistant Depot Manager) Recruitment Rules, 1990, namely:—

- (1) These rules may be called the Central Government Health Scheme (Assistant Depot Manager) Recruitment (Amendment) Rules, 1993.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the schedule to the Central Government Health Scheme (Assistant Depot Manager) Recruitment, Rules 1990:—
 - (1) under Column 2, for the entries the following entries shall be substituted, namely:—
“2*(1993).—1 in Bombay, and
1 in Hyderabad.
*Subject to variation”
 - (2) in Column 8, under the heading ‘Essential’, after the entries, Notes 1 and 2 and entries relating thereto shall be inserted.
 - (3) In Column 12, under the heading “Transfer on Deputation”, at item (ii), after the entries, the word “or” shall be inserted.

[No. A-12018/1/90-CGHS-II/CGHS(P)]

BRAHAM DEV, Under Secy.

FOOT NOTE.—The Principal Rules were published vide G.S.R. 215 dated 30-3-91.

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1993

सा.का.नि. 244.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, मुंबई (सवार हरकारा) भर्ती नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, मुंबई (सवार हरकारा) भर्ती (संशोधन) नियम, 1993 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, मुंबई (सवार हरकारा) भर्ती नियम, 1986 की अनुसूची में:—
 1. स्तम्भ 4 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—
“950-20-1150-इ.रो.-25-1400 रुपये”;
 2. स्तम्भ 5 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—
“चयन”;
 3. स्तम्भ 9 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—
“आयु—नहीं
ग्रहता—हां”;
 4. स्तम्भ 11 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—
“प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा”;
 5. स्तम्भ 12 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—
“ऐसे श्रेणी “घ” कर्मचारियों में से प्रोन्नति जिन्होंने अपने-अपने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम संगठन में उस श्रेणी में 3 वर्ष नियत सेवा की है”;
 6. स्तम्भ 14 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—
“समूह “ब” विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

1. संबंधित अपर/उप-निदेशक —अध्यक्ष
2. भारताधिक चिकित्सा अधिकारी —सदस्य
3. किसी केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से अधिमानतः स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम से भिन्न इसके उप कार्यालयों से श्रेणी “क” अधिकारी—सदस्य
4. यदि किसी केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से कोई श्रेणी “क” का प्रशासनिक अधिकारी नहीं है तो संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम कार्यालय से प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य

[सं. ए-12018/51/89-सी जी एच एस-1/सी जी एच एस (पी)]

ब्रह्म देव, अवर सचिव

मुख्य नियम सा.का.नि. सं. 1037 दिनांक 18-10-86 द्वारा प्रकाशित हुए।

(Department of Health)

New Delhi, the 21st April, 1993

G.S.R. 244.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central

सत्यापित
31-10-19
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार प्रकाशन विभाग

8

9

10

11

- (i) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent) or
(iii) with 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and
(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion, (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 (three) years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract)/transfer shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.)

Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission, shall be held.

[No. A-12013/1/92-UIP/Estt. III]
LAL SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1993

सा.का.नि. 246—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में पाइप लाइन अपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1992 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा/होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति आयु-सीमा और अन्य ग्रहणाएं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, ग्रहणाएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति मा अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबध्द को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, ऐसे आरक्षण जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संघ में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबध्द करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम, 1972) के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
पाइप लाइन अपरेटर	4* (1992)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसूचितीय	1200-30- 1560-द.रो.- 40-2040 रु.	अचयन	नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)।

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

सत्यापित

31-10-19
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)

टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी) न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

टिप्पण : 2—ऐसे पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।
---	---	-------------------------------	---	--

8	9	10	11	12
---	---	----	----	----

आवश्यक:

1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय आय: नहीं से मैट्रिकुलेशन या उसके समतुल्य अर्हता; शैक्षिक अर्हताएं: हां
2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर या वेल्डर अथवा मशीन मिस्त्री या इलेक्ट्रानिक्स या विद्युत का व्यवसाय प्रमाणपत्र; और
3. सरकारी संस्थान/विनिर्माता संगठन या विभाग में व्यवसाय में 2 वर्ष का अनुभव

टिप्पण 1—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2—अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

पदोन्नति:

1. आटोक्लेव सहायक समूह "ग" जिन्होंने 975-1540 रुपये के वेतनमान में 8 वर्ष की नियमित सेवा की है, या
2. ऐसे बड़ई, पेंटर, सह वेल्डर समूह "ग" जिन्होंने 950-1400 रु. के वेतनमान में 10 वर्ष की नियमित सेवा की है।

सत्यापित
31-10-19
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, एकाशन विभाग

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

11	12	13	14
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : (क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधि- कारी : (i) जो नियमित आधार पर सृष्ट पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने 975-1540 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 950-1400 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 10 वर्ष की नियमित सेवा की है और (ख) जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्य- क्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉन्टर-वाल्स पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी साधा- रणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	1. अपर चिकित्सक अधीक्षक—अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी—सदस्य 3. ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी—सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सपु- दाय का प्रतिनिधित्व करने वाला सहयो- जित सदस्य —सदस्य टिप्पण: पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग शैक्षिक और अन्य के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किंतु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	लागू नहीं होता।	

[सं. ए-12018/30/89-आर.आर. (एम ई यू जी डेस्क)]

भारत गृहण शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 23rd April, 1993

G.S.R. 246.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the post of Pipe Line Operator in the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, Group 'C' posts Recruitment Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their the Schedule annexed to these rules.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of post, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of requirement age limit and other qualification etc.—The method of the recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications—No person;—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

सत्यापित
31-10-19
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार परामर्श विभाग

SCHEDULE

Name of the post	No. of post.	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post.
1	2	3	4	5
Pipe Line Operator	4* (1992) (6)	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040	Non Selection
*Subject to variation dependent on workload.				
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits		
6	7	8		
No	Between 18—25 years. (Relaxable for Government Servants upto 25 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note : 1 The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State Lahaul & Spiti district and pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep). Note : 2 In respect of posts, the appointments to which are made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the name.	Essential : 1. Matriculation or its equivalent qualification from a recognised Board/University; 2. Trade Certificate from Industrial Training Institute of Fitter or Welder or Machinist or Electronics or Electrical and; 3. Two years experience in the Trade, in Government/Institution/Manufacturing Organisation or department. Note : 1 Qualifications are relaxable at the discretion of Competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note : 2 The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. If, at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		
Whether age and education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentages of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grade from which promotion/deputation/transfer to be made.	
9	10	11	12	
Age) : No Educational Qualifications : Yes.	Two years for direct recruits.	(i) 75% by direct recruitment. (ii) 25% by promotion failing which by transfer on deputation failing both by direct recruitment.	Promotion : 1. Autoclave Assistant Group 'C' in the scale of Rs. 975—1540 with eight years regular service, or 2. Carpenter-cum-Painter-cum-Welder Group 'C', in the scale of Rs. 950—1400 with ten years regular service.	

सत्यापित

31-10-19
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
उत्तर सरकार, प्रकाशन विभाग

12

Transfer on deputation:

Officers of the Central Government:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
(ii) with eight years' regular service in post in the scale of Rs. 975—1540 or equivalent; or
(iii) with ten years regular service in posts of Rs. 950—1400 or equivalent; and

(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8.

(The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

13

14

- | | |
|---|-----------|
| 1. Additional Medical Superintendent | —Chairman |
| 2. Administrative Officer | —Member |
| 3. Senior Technical Officer | —Member |
| 4. Co-opted member to represent SC/ST community | —Member. |

Not applicable.

[No. A—12018/30/89-RR(ME-UG)]
B.B. SHARMA, Desk Officer

कृषि मंत्रालय

(पशु पालन और डेरी विभाग)

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1993

सा.का.नि. 247--राष्ट्रपति सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली दुग्ध योजना (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम 1963 को जहाँ तक उनका संबंध अधीक्षण के पद से है उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का चोप किया गया है कृषि मंत्रालय पशुपालन और डेरी विभाग के अधीन दिल्ली दुग्ध योजना में अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधीक्षक दिल्ली दुग्ध योजना समूह "ग" पद भर्ती नियम 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो उससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहर्ता : वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पद पर नियुक्ति का मूल नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन नुसख है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

सत्यापित

21-10-19
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग